राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प.7(3)कार्मिक/क–2/95 पार्ट जयपुर, दिनांक : 21.06.2022

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

राजस्थान विविध सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में शिथिलन संबंधी प्रावधान समाहित है। कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.01.2022 एवं 10.05.2022 के द्वारा अधीनस्थ कार्यालय के मंत्रालयिक संवर्ग (जनरल विंग) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए 50 प्रतिशत से अधिक पद रिक्त (सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र एवं अन्य कारण) होने एवं अनुभव में एक तिहाई अवधि में शिथिलन उपरान्त निम्न पद पर न्यूनतम एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की शर्त पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में 1/3 अवधि (अर्थात एक वर्ष) की शिथिलता प्रदान की गई है।

इस संबंध में मंत्रालयिक सेवा सहित अन्य सेवाओं में भी रिक्त पदों एवं पदौन्नति के संबंध में प्रकरण का परीक्षण किया गया। राज्य में विभिन्न सेवाओं के अनेक उच्च पद रिक्त हैं, जिन पर नियमों में निर्धारित अनुभव पूर्ण नहीं होने के कारण नियमित पदोन्नतियाँ प्रदान करना संभव नहीं हो रहा है।

अतः कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र दिनांक 18.01.2022 के अधिक्रमण में निर्णय लिया गया है कि राज्य की सभी सेवाओं (राज्य सेवा, अधीनस्थ सेवा, मंत्रालयिक सेवा एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा) के ऐसे पद, जिन पर पदौन्नति हेतु 3 वर्ष या अधिक का अनुभव वांछित हैं, पर पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2022–2023 के लिए एक वर्ष का शिथिलन प्रदान किया जाता है। इस शिथिलन हेतु परिपत्र दिनांक 07.01.2020 में विहित 50 प्रतिशत पदों की रिक्तता एवं शिथिलन उपरांत निम्न पद पर एक तिहाई कार्मिक कार्यरत रहने की बाध्यता नही होगी। यह शिथिलन उन पदो पर लागू नही होगा, जहाँ पदौन्नति हेतु नियमों में सेवा अवधि का प्रावधान विहित है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से पूर्व यदि किसी सेवा संवर्ग में वर्ष 2022–23 की रिक्तियों हेतु विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है, तो उन प्रकरणों में यह शिथिलन लागू नही होगा।

पदौन्नति हेतु वांछित अनुभव में यह शिथिलन दिनांक 31.08.2022 तक मान्य है। प्रशासनिक विभाग, विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन की समस्त कार्यवाही दिनांक 31.08.2022 तक पूरी करना सुनिश्चित करें, उक्त तिथि के पश्चात आयोजित होने वाली डीपीसी में शिथिलन अनुज्ञेय नही है।

21/6/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. एसीपी, कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

21/06/2022

संयुक्त शासन सचिव

40/2022